बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(चकबंदी निदेशालय)

कार्यालय आदेश

आदेश संख्या–12/चक0मु0(स0नि0)–01/10 ...1216..... /चक0, पटना, दिनांक 24.12.2014

चकबंदी निदेशालय अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्त एकरारनामा के आधार पर निम्नांकित कुल 02 (दो) आवेदकों को **प्रारूपक** पद के रूप में संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिये नियोजित करते हुये स्तंम्भ (5) के उल्लिखित चकबंदी कार्यालय में पदस्थापित कया जाता है।

क्रमांक	अनुक्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	गृह जिला	पदस्थापित किये जाने वाले चकबंदी कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	500237	श्री राम गोविन्द महतो	समस्तीपुर	बक्सर सदर (बक्सर)	
2	500260	श्री अवध किशोर यादव	भागलपुर	आरा सदर (भोजपुर)	

उपरोक्त तालिका में अंकित सभी चयनित कर्मियों को (संविदा के आधार पर) निम्नांकित शर्तों के अधीन नियोजित करते हुये पदस्थापित किया जाता है।

- यह नियोजन निम्नांकित शर्तो के अधीन की गई है :–

1. यह नियोजन संविदा के आधार पर केवल 1 (एक) वर्ष के लिये है। इस बीच यदि विभाग द्वारा नियमित नियुक्ति होती है, तो संविदा पर नियोजित कर्मियों की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। कार्य संतोषजनक होने पर नियोजन की अवधि विस्तार की जा सकती है। कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर इसके पूर्व भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
2. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति को मासिक **6500/– (छः हजार पाँच सौ) रूपये** मात्र मानदेय(पारिश्रमिक) के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा, राशि तथा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
3. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
4. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी। आवश्यकतानुसार चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना को नियोजित व्यक्ति को स्थानान्तरण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
5. यह नियोजन बिल्कुल हीं अस्थायी है। नियोक्ता द्वारा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।
6. नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पूर्व आवेदन के साथ संलग्न कागजातों/प्रमाण–पत्रों के सत्यापन में यदि त्रुटि पायी जाती है तो उनका नियोजन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. नियोजित कर्मी उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा। साथ हीं नियोजित कर्मी द्वारा कार्य में अनियमितता बरतने एवं गम्भीर शिकायत पाये जाने पर नियमानुसार सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
8. संविदा के आधार पर नव नियुक्ति कर्मियों को पदस्थापन के बाद नये स्थान पर योगदान की तिथि से मानदेय(पारिश्रमिक) का भुगतान किया जायेगा।

9. असैनिक शैल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत "स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र" (मूल में) के साथ योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

10. संविदा के आधार पर नव नियोजित कर्मी पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अंदर पदस्थापित चकबंदी कार्यालयों में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

11. संबंधित चकबंदी पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे संविदा के आधार पर नव नियोजित कर्मियों से एकरारनामा पर हस्ताक्षर कराने के पश्चात् हीं उनका योगदान स्वीकृत करेंगे।

12. नव नियोजित कर्मियों का वेतन शीर्ष 28 01, व्यवसायिक एवं विशेष सेवायें मद से दिया जायेगा।

निदेशक, चकबंदी
बिहार, पटना।

आदेश ज्ञापांक......1316....../चक0 पटना, दिनांक......24.12.2014

प्रतिलिपि :– उप निदेशक, चकबंदी, भोजपुर/चकबंदी पदाधिकारी, आरा सदर (भोजपुर)/बक्सर सदर/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर/बक्सर/संबंधित कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, चकबंदी
बिहार, पटना।